

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत्त. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 जुलाई 2013—आषाढ़ 17, शक 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-15/2009/नौ/55.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. एफ 25-15/2009/नौ/55, दिनांक 07 जनवरी, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के रूप में, तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 25-15/2009/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 8th July 2013

NOTIFICATION

No. F 25-15/2009/IX/55.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 30 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006) and in supersession of Department's Previous Notification No. F. 25-15/2009/IX/55, dated 7th January, 2013, the State Government, hereby appoints Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Chhattisgarh, as Commissioner of Food Safety for the whole State of Chhattisgarh, with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.